सभ्यता के विकास के पूर्व के आदि-मानव एवं आज के आधुनिक मानव के रहन-सहन में काफी परिवर्त्तन आया है।

पहले हमारी आवश्यकताएं मात्र भोजन, वस्त्र एवं आवास तक ही सीमित थी, परन्तु आज आवश्यकताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। एक तो हमारी आबादी भी कम नहीं, साथ ही यह अनियंत्रित ढ़ंग से बढ़ती ही जा रही है। - गांव, कस्बा, नगर, महानगर इस आबादी से पटती जा रही है। जायें तो जायें कहां! हर जगह भीड़ ही भीड़ है।

इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति में प्राकृतिक संसाधनों के बेतरतीब उपयोग ने कई प्रकार के कचरों को जन्म दिया है। मोटे तौर पर ऐसे कचरों को 'औद्योगिक' व 'नगरीय कचरा' में वर्गीकृत किया जा सकता है।

औद्योगिक कचरों में कई प्रकार के प्रदूषक तत्व मौजूद रहते हैं। ऐसे जलीय व ठोस कचरों में विद्यमान जहरीले और प्रदूषणकारी तत्व धीरे-धीरे नदी, नालों, भू-गर्भीय जल और भूमि को विषाक्त बनाते हैं।

'नगरीय कचरों को भी 'ठोस कचरा' व 'जलीय बहिस्राव' में वर्गीकृत किया जा सकता है।

नगर के 'जलीय बहिस्राव' को नदी नालों में बिना उपचारित किये गिराये जाने से जल में मुख्यतया कॉलीफार्म बैक्टीरिया की संख्या और जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.) बढ़ने की स्थिति में जल में घुलनशील ऑक्सीजन (डी.ओ.) की मात्रा में कमी हो जाती है। ऐसे में कुछ स्थानों में घुलनशील ऑकसीजन की मात्रा शून्य पायी जा सकती है जिससे जल बिना उपचारित किये पीने योग्य नहीं रहता और इसका प्रभाव जलीय जीवों पर भी पड़ता है। ऐसे प्रदूषित जल का सेवन करने अथवा अन्य उपयोग में लाने अथवा नहाने से तरह-तरह के रोगों के फैलने का खतरा रहता है। ऐसे जलीय बहिस्राव को उपचारित करने के पश्चात् ही जल स्रोतों में प्रवाहित किया जाना चाहिए।

नगरीय ठोस कचरा

नगरीय ठोस कचरों का बढ़ता ढ़ेर नगरों तथा महानगरों के लिए एक गंभीर समस्या है। नगरों में प्रतिदिन टनों घरेलू कचरा यत्र-तत्र फेंका जाता है। घरेलू कचरों को तो चिन्हित कूड़ा स्थलों पर निर्धारित समय पर ही फेंका जाना चाहिए।

नगरीय ठोस कचरों का प्रबंधन

केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3,6 और 25 के तहत नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन को विनियमित करने के लिए '' नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 बनाया है जो भारत के राजपत्र (असाधारण)संख्या-648, दिनांक-03 अक्टूबर, 2000 में प्रकाशित है तथा प्रकाशन की तिथि से ही लागू है।

ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक प्राधिकारी को लागू होंगे।

नगरपालिक प्राधिकारी का दायित्व (Responsibility of Municipal Authority)

1. नगरपालिक प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिए किसी भी अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी होगा।

2. नगरपालिक प्राधिकारी या किसी सुविधा का प्रचालक अनुसूची-01 में अधिकथित कार्यान्वयन कार्यक्रम की अनुपालन की दृष्टि से राज्य बोर्ड से, अपशिष्टों के प्रसंस्करण और व्ययन प्रसुविधा की, जिसके अन्तर्गत भूमि-भरण भी है, स्थापना के लिए प्राधिकार मंजूर करने के लिए फार्म-01 में आवेदन करेंगे।

3. नगरपालिक प्राधिकारी, अनुसूची-01 में अधिकथित कार्यान्वयन सूची के अनुसार इन नियमों का पालन करेंगे।

4. नगरपालिक प्राधिकारी, अपनी वार्षिक रिर्पोट को फार्म-02 में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को प्रतिवर्ष 30 जून को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेंगे जिसकी एक प्रति राज्य बोर्ड को भी भेजेंगे।

संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त का उनकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों को लागू करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन :-

1. किसी शहर या नगर में किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन तथा हथालन अनुसूची-2 में अधिकथित मापदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

2. नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा या सुविधा के प्रचालक द्वारा स्थापित अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाएं, अनुसूची-iii और iv में दिये गये विनिर्देशों तथा मानकों को पूरा करेंगी।

दुर्घटना की सूचना देना :-

किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, प्रसंस्करण, उपचार, शोधन तथा व्ययन सुविधा या भूमिभरण स्थल अथवा ऐसे अपशिष्टों के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होने पर नगरपालिक प्राधिकारी फार्म-05, में दुर्घटना की सूचना जिला कलेक्टर या उपायुक्त को भेजेंगे।

अच्छी आदत डालें-
घरेलू कचरों को कूड़ेदान में ही डालें।

नगरीय कचरों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कचरों के उचित प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा नियमावलियां बनायी गयी हैं जिनका अनुपालन करते हुए ऐसे कचरों का निष्पादन किया जाना चाहिए।

अस्पताली कचरा

नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजिकल लैब से उत्पन्न कचरों को सार्वजनिक स्थानों पर न फेंक कर इसका निष्पादन व्यवस्थित ढ़ंग से करना चाहिए।

ऐसे 'जीव-चिकित्सा अपशिष्ट' से होने वाले खतरों के आलोक में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1981 की धारा 06,08 एवं 09 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश में 'जीव-चिकित्स अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमवली, 1998 दिनांक-09 जुलाई, 1998 को अधिसूचित कर दिया गया है।

यह नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू हे जो किसी भी रूप से जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण, परिवहन, उपचार, व्ययन व हस्तन करते हैं।

अस्पताली कचरों का करें सही निपटान-
दूर हो संक्रमण, स्वच्छ रहे शहर तमाम।

इलेक्ट्रॉनिक कचरा

प्रगति के पथ पर अग्रसर मानव द्वारा दिन-व-दिन उन्नत होती तकनीक पर आधारित भिन्न-भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यथा-कम्प्यूटर, टी.वी. लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, सी.डी., डी.वी.डी. पेन ड्राइव, मोबाईल आदि के उपयोग के पश्चात इनका व्यवस्थित निपटान एक बड़ी समस्या है।

ऐसा इसलिए भी, क्योंकि इनके निर्माण में हानिकारक धातुओं जैसे सीसा, कैडमियम, पारा, निकल, लीथियम, एल्युमीनियम आदि का उपयोग होता है। अत: इन उपकरणों का व्यवस्थित निपटान नहीं होने से मिट्टी, भूमिगत जल आदि के विषाक्त होने का खतरा रहता है।

इनके व्यवस्थित निपटान हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''इलेक्ट्रॉनिक कचरा (प्रबंधन